

an>

Title: Demand to construct Murakati Branch Canal to provide irrigation facilities to farmers in Jamshedpur Parliamentary Constituency.

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जमशेदपुर लोक सभा क्षेत्र के अति महत्वपूर्ण विषय जो झारखंड सरकार और ओडिशा सरकार की सिंचाई परियोजना से संबंधित है, आपके माध्यम से इस सदन में रखना चाहता हूँ ।

मैं आपका ध्यान अति महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना के निर्माण कराने की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ । विदित हो कि प्रधान मंत्री सिंचाई स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना के अन्तर्गत मुराकाटी साका नहर के निर्माण हेतु परियोजना का छठा पुनरीक्षित प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक 447-56 दिनांक 06.09.2019 द्वारा FTPC के तहत प्रदान की गई थी । जिसकी राशि 14949.744 करोड़ रुपये है । यह स्वीकृति जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची की अनुशंसा के उपरान्त ही प्रदान की गई थी । जल संसाधन विभाग राँची के पत्रांक 1/PMC/कार्य-996/2017-46/2021, प्र.स्वी., दिनांक 19.03.2021 द्वारा 12849.46 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी । उसी क्रम में मुराकाटी साका नहर जो कि स्वर्ण रेखा परियोजना का प्रमुख अव्यव है । उसके निर्माण को राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान नहीं की गई । खरकई दायां नहर की 29.83 किलोमीटर से निःसृत मुराकाटी साका नहर की सिंचाई क्षमता 14.122 हेक्टेयर है । यह क्षेत्र मूल रूप से पोटका, मुसाबनी, घाटशिला एवं घुड़ाबान्दा प्रखण्ड के अन्तर्गत आता है । एक ओर उसी क्षेत्र के किसानों की 650 हेक्टेयर जमीन अधिगृहित कर गालुडीह दायां मुख्य नहर का निर्माण कर ओडिशा को सिंचाई के लिए वर्ष 2012 से जलापूर्ति की जा रही है । दूसरी ओर, घाटशिला एवं पोटका विधानसभा क्षेत्र के किसानों को सिंचाई सुविधा से झारखण्ड सरकार वंचित कर रही है, जबकि गजिया स्थित खरकई बैराज के

शीर्ष संरचना का निर्माण कार्य वर्ष 2020 में सम्पन्न हो चुका है । मुराकाटी साका नहर का पूरा कमांड क्षेत्र मेरे निर्वाचन क्षेत्र जमशेदपुर में स्थित है ।

अतः मैं आपके माध्यम से माननीय जल शक्ति मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि मुराकाटी साका नहर जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत FTPC के अन्तर्गत एक मुख्य अंग है, उसका निर्माण सुनिश्चित किया जाए, जिससे मेरे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर के किसानों जो मुख्यतः आदिवासी, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के हैं, उनको सिंचाई का लाभ मिल सके । बहुत-बहुत धन्यवाद ।